तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.11.20	पत्रावली पेश। पैरोकार सरकार एवं वकील अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट उपस्थित है। बकाया रेस्पो० के सम्मन बाद तामील बाद का० भी आवाज लगाई गई। अनुपस्थित है। जिनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। बहस अपीलार्थी सुनी गई। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता को कोई खास आपत्ति नहीं है। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमो में अंकित कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष आदि पर सम्यक विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम नूरपुरा की भूमि पर दायर नामान्तकरण संख्या 668 दि० 5.11.19 एवं 669 दिनांक 20.12.19 के क्रम में अपील यह अंकित करते हुये प्रस्तुत की है, कि उक्त भूमि के मृतक खातेदार शंकर की मृतक पुत्री बदामबाई व अन्य वारिस मदनलाल की धर्मपत्नी शान्तिबाई का नाम दर्ज होने से रह गया है उक्त नाम ग्रामवासियान द्वारा गलत तथ्य बता देने से छूट गये है अतः उक्त नामान्तकरणों को निरस्त किया जावे ताकि मृतक के विधिक समस्त वारिसान का नाम दर्ज किया जा सके। अपील अपीलार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान की ओर से वकालातनामे प्रस्तुत हुये। विपक्ष पक्षकारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की ता... में जारी...
	अपील मेमो, मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति, शपथ-पत्रादि, एवं रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन किया गया। रेस्पो० अधिवक्ता को मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मृतक शंकर के कतिपय वारिसान का नाम नामान्तरकरण प्रमाणित करते समय छूट जाना प्रकट होता है। इस प्रकार मृतक खातेदारों के सम्पूर्ण विधिक वारिसान के नाम भूमि पर दर्ज नहीं होने से वारिसान के विधिक स्वत्व विपरीत रूप से प्रभावित हो सकते हैं। रेस्पो० को अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति इस हद तक नहीं है, कि मृतक खातेदार के समस्त उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हों। अतः सहमति एवं गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम नूरपुरा के नामान्तरकरण नं० 668 व 669 निर्णय दिनांक क्रमशः 5.11.19 व 20.12.19 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वे मृतक खातेदार के विधिक वारिसान को तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये, मृतक वारिसान के समस्त उत्तराधिकारियों के नाम नवीन सिरे से नामान्तरकरण	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की कार्यवाही करते हुये विधिसंगत निर्णय पारित करें। पत्रावली की निर्णित में गणना की जावे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रामगंज मण्डी को भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04/11/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी (देशल दान) रामगंजमण्डी I.A.S.	